न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. अशोक कुमार RAS

प्रार्थना पत्र 14(4) संख्या : 06 / 2018

1. लालाराम पुत्र श्री हेमा, जाति—अहीर, निवासी—ग्राम खपरिया, तहसील—आमेर, जिला—जयपुर।
2. नेमीचंद पुत्र श्री जगदीश पुत्र श्री हेमा, जाति—अहीर, निवासी—ग्राम खपरिया, तहसील—आमेर, जिला—जयपुर।

प्रार्थीगण,

बनाम

1. सागर पुत्र श्री हनुमान, जाति—यादव (अहीर), निवासी—ग्राम खपरिया, तहसील आमेर, जिला—जयपुर।
2. सुरेश पुत्र श्री हनुमान, जाति—यादव (अहीर), निवासी—ग्राम खपरिया, तहसील आमेर, जिला—जयपुर।
3. चावली देवी पत्नी श्री हनुमान, जाति—यादव (अहीर), निवासी—ग्राम खपरिया, तहसील—आमेर, जिला—जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, आमेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 बाबत् आवंटन आदेश दिनाक 13.05.1986 द्वारा आवंटन सलाहकार समिति राजस्व अभियान ग्राम पंचायत रामपुरा में ग्राम खपरिया की भूमि ख0नं0 289 चारागाह में हनुमान पुत्र जोधा को नियमन की गई भूमि का आवंटन निरस्त करने बाबत।)

उपस्थितः—

1. श्री बंशीधर जाट, अभिभाषक, प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री प्रवीण चौधरी, अभिभाषक अप्रार्थीगण सं0 1 लगा0 3 की ओर से।
3. श्री प्रहलाद रावत, राजकीय अभिभाषक, अप्रार्थी सं0 4 की ओर से।

निर्णय **दिनांक : 22.02.2021**

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम खपरिया तहसील आमेर जिला जयपुर में गत खसरा नं. 289 रकबा 8 बीघा किस्म चारागाह को राजस्व अभियान ग्राम पंचायत रामपुरा डावडी में भूमि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक मे सदस्यो द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि को दिनांक 13.05.1986 को हनुमान पुत्र जोधा जाति अहीर को नियमन की शिफारिश करने पर वादग्रस्त भूमि के नियमन किये जाने से की व्यथीत होकर यह प्रार्थना पत्र 14(4) प्रस्तुत हुआ है ।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस अप्रार्थीगण जारी किए गए उपखण्ड अधिकारी आमेर से आवंटन से संबंधित मूल पत्रावली कार्यवाही रजिस्टर चाहा गया जिसके संदर्भ में उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा पत्र कमांक आवंटन / 2019 / 1657 दिनांक 08.11.2019 प्रेषित कर अवगत कराया हैं कि कार्यालय मे रिकार्ड तलाश करने पर भी मूल पत्रावली प्राप्त नही हुई है। आवंटन रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रेषित की गई जो शामिल मिसल है।

उभयपक्षों की बहस सुनी गई । प्रार्थीगण के विद्वान् अभिभाषक ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम खपरिया तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित गत खसरा न. 289 रकबा 8 बीघा किस्म चारागाह जिसके हाल खसरा न. 774 रकबा 0.98 है0,

खसरा नं. 777 रकबा 0.03 है0, खसरा नं. 778 रकबा 0.09 है0, खसरा नं. 789 रकबा 0.03 है0 खसरा नं. 772/794 रकबा 0.30 है0, खसरा नं. 773/796 रकबा 0.65 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.00 है0 के बावत राजस्व अभियान ग्राम पंचायत रामपुरा में दिनांक 13.05.1986 को आवंटन सलाहकार समिति की बैठक हुई जिसमें समिति के सदस्यो द्वारा उक्त नम्बरान की चरागाह भूमि के नियमन हेतु श्री हनुमान पुत्र जोधा अहीर निवासी खपरिया के नाम नियमन किये जाने की शिफारिश की गई थी। नियमन की गई भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 के पिता व 3 के पति हनुमान पुत्र जोधा का निरन्तर काफी समय से कब्जा बताकर नियमन की गई है। जबकि वादग्रस्त भूमि पर जोधा पुत्र नानू का कब्जा रहा है। जिसकी मृत्यु के बाद जोधा के चारों पुत्र कमशः भौमा, हनुमान, रामनिवास, लाला उर्फ हरीश का कब्जा है। इस कारण भी अकेले हनुमान पुत्र जोधा के पक्ष में भूमि का नियमन नही किया जा सकता है। नियमन की गई भूमि की किस्म चारागाह है। चारागाह भूमि का कृषि हेतु प्रयोजनार्थ नियमन/आवंटन नही किया जा सकता है ना ही भूमि की किस्म परिवर्तित की जा सकती है। आवंटित भूमि के हाल खसरा नं. 772/794 पर प्रार्थी संख्या 1 के पिता व प्रार्थी संख्या 2 के दादा का कब्जा काश्त है। जिसके गत खसरा नं. 289 थे वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। शेष भूमि पर हनुमान पुत्र जोधा के अन्य भाईयों का कब्जा काश्त चला आ रहा है। हनुमान पुत्र जोधा को बिना कब्जा काश्त के ही आवंटन सलाहकार समिति द्वारा वादग्रस्त भूमि के नियमन की शिफारिश की गई है जो निरस्तनीय है।

नियमन दिनाक 13.05.1986 के समय भूमि पर हनुमान पुत्र जोधा का कब्जा काश्त नही होने के कारण सम्पूर्ण भूमि नियमन नही की जा सकती थी। सर्वप्रथम नियमन/आवंटन का अधिकार कब्जाधारी/अतिकर्मी का होता है। आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं करने तथा मौके पर कब्जा काश्त नहीं होने के कारण वादग्रस्त भूमि का आवंटी के पक्ष में गैर खातेदारी से खातेदारी के अधिकार भी प्राप्त नही हुये है। हनुमान पुत्र जोधा ने आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों को प्रभाव मे लेकर मिस रिप्रजेन्टेशन फ्रोड तरिके से वादग्रस्त भूमि का नियमन करवा लिया आवंटी हनुमान पुत्र जोधा द्वारा आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष किसी भी प्रकार का आवेदन पत्र प्रस्तुत किये बिना ही आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटी को वादग्रस्त भूमि को नियमन की शिफारिश की गई है। जो विधि विरूद्ध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नं. 289 रकबा 8 बीघा भूमि के सबंध में जारी नियमन आदेश दिनाक 13.05.1986 को निरस्त किया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान् अभिभाषक का कथन है कि अप्रार्थी सं0 1 व 2 के पिता व 3 के पति हनुमान पुत्र जोधा को ख0नं0 772/794 पर प्रार्थी सं0 1 के पिता व प्रार्थी सं0 2 के दादा का कब्जा काश्त नही है ना ही ख0नं0 774 के दक्षिणी पूर्वी सीमा पर आवंटी हनुमान पुत्र जोधा के अन्य भाई का कब्जा काश्त है। हनुमान पुत्र जोधा को पुराने कब्जे व नियमन की शर्तो की पूर्ति करने के आधार पर ख0नं0 289 में से 8 बीघा भूमि का आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 13.05.1986 को किया गया था तथा आवंटित किये जाने की सिफारिश जिला कलक्टर, जयपुर को प्रेषित की गई थी। आवंटी हनुमान पुत्र जोधा के भूमिहीन कृषक होने की संतुष्टी उपरान्त ही आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 13.05.1986 को भूमि के नियमन की सिफारिश करते हुए मूल पत्रावली जिला कलक्टर को प्रेषित की गई थी। जिला कलक्टर महोदय के पत्रांक राजस्व 11/आर–6/86/15777/780 दिनांक 24.12.1986 की पालना में ख0नं0 289 रकबा 8 बीघा को चरागाह से सिवायचक दर्ज किया गया तथा दिनांक 21.01.1988 को गैर–खातेदारी दर्ज की गई। इसके पश्चात् नामान्तरकरण सं0 4 हनुमान पुत्र जोधा के नाम तस्दीक किया गया है। वादग्रस्त भूमि पर हनुमान पुत्र जोधा का पूर्व से कब्जा रहा है तथा वे परिवार सहित मकान बनाकर निवास कर रहे है। वादग्रस्त भूमि के भूमि संबंधित दस्तावेज वैधानिक होने के कारण ही बैंक द्वारा ऋण दिया गया है तथा राज्य सरकार द्वारा फसल खराब होने पर मुआवजा दिया गया है। तत्समय के रिकार्ड अनुसार आवंटी हनुमान पुत्र जोधा के स्वयं के नाम से कोई भूमि नही थी। उनके पूर्वज का वादग्रस्त भूमि पर

दिनांक 01.01.1970 से पूर्व का कब्जा काश्त था, राजस्व अभियान में आवंटन सलाहकार समिति बनायी गई थी। गठित आवंटन सलाहकार समिति द्वारा वैधानिक रूप से भूमिहीन होने के कारण तथा वर्ष 1970 से पूर्व का कब्जा काश्त होने के कारण उनके पूर्वज को वैधानिक रूप से नियमन की सिफारिश की गई थी। नियमन की सिफारिश के उपरान्त जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा चरागाह भूमि को सिवायचक करने के पश्चात् तत्कालीन उप–जिलाधीश द्वारा नियमानुसार हनुमान पुत्र जोधा को भूमि का आवंटन किया गया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक का कथन है कि आवंटन नियमानुसार किया गया है और एक लम्बी अवधि के पश्चात् तकनीकी आधार पर आवंटन को खारिज किया जाना न्यायसंगत नही है। अतः प्रार्थना पत्र 14(4) निरस्त फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षो की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्व अभियान ग्राम पंचायत रामपुरा में दिनांक 13.05.1986 को आवंटन सलाहकार समिति की बैठक हुई जिसमें समिति के सदस्यों द्वारा वादग्रस्त भूमि के नियमन हेतु श्री हनुमान पुत्र जोधा अहीर, निवासी–खपरिया के नियमन की सिफारिश की गई थी। विद्वान् अभिभाषक प्रार्थी ने अपने बहस में यह कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि पर जोधा पुत्र नानू का कब्जा रहा है ना कि हनुमान पुत्र जोधा का, परन्तु पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर सम्वत् 2027 से हनुमान पुत्र जोधा का कब्जा काश्त रहा है तथा आवंटन के पश्चात् अप्रार्थीगण का वर्तमान में कब्जा काश्त है।

प्रार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि नियमन दिनांक 13.05.1986 के समय वादग्रस्त भूमि पर हनुमान पुत्र जोधा का कब्जा काश्त नही होने के कारण हनुमान पुत्र जोधा को किया गया नियमन अवैध है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार आवंटी हनुमान पुत्र जोधा का कब्जा सम्वत् 2027 से रहा है तथा कब्जा काश्त होने के कारण ही आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिक रूप से बैठक आयोजित कर नियमानुसार हनुमान पुत्र जोधा को पुराने कब्जे व नियमन की शर्तो की पूर्ति करने पर भूमि नियमन की सिफारिश की गई है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2037 एवं 2055 पेश किया गया है। प्रार्थीगण यह साबित करने में असफल रहे है कि हनुमान पुत्र जोधा का सम्वत् 2027 से कब्जा काश्त नही रहा है। जबकि अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब के साथ सम्वत् 2027 से वर्तमान तक के खसरा परिवर्तनशील/गिरदावरी प्रस्तुत की गई है। जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि हनुमान पुत्र जोधा का आवंटन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित करने से पूर्व कब्जा काश्त रहा है तथा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा कब्जा काश्त के आधार पर ही भूमिहीन मानते हुए नियमन की सिफारिश की गई है।

अतः उक्त विवचेनानुसार पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण के पूर्वज हनुमान पुत्र जोधा के कब्जा काश्त के आधार पर ही आवंटन सलाहकार समिति द्वारा वैधानिक रूप से नियमानुसार वादग्रस्त भूमि ग्राम खपरिया की ख0नं0 289 रकबा 8 बीघा भूमि का आवंटन/नियमन किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

22.2.21

(डॉ. अशोक कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ)
जयपुर